हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज धन्नी देवी बनाम प्राधिकृत अधिकार(उपायुक्त जोन–12)जे.वि.प्रा.जयपुर अपील जीसीएमएस नं. 2017 / 00104	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2026	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि वे प्रकरण को आगे नही चलाना चाहते है प्रकरण को नोट प्रेस के आधार पर खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि अधिवक्ता अपीलांट श्री सुरेन्द्र सिंह ने आदेशिका पर नोट प्रेस अंकित किया है। अपीलार्थी स्वयं ही अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते है ऐसी स्थित में हस्तगत प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पत्रावली को नोट प्रेस किये जाने पर पत्रावली को नोट प्रेस के आधार पर खारीज किया जाता है। तहत रिकार्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	